का प्रदर्शन न करें। इस तरह का अवसर न दें और हम अपने बच्चों को समझाएं। उन्होंने कहा कि कम महिलाएं सफर करती हैं। यह बात सही है लेकिन, टाइम-बे-टाइम न आएं और कारों से लिफ्ट भी न मांगे। कारों से लिफ्ट नहीं मांगनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को समझाना चाहिए। हम समझाते हैं। जो सरकार इस बात को गंभीरता से लेती है। महिलाओं, बच्चों, माइनोरिटी, अनुसूचित जाति, जनजाति, इन सब के बारे में सरकार बहुत ही ज्यादा चिंतित है। उनके ऊपर जुल्म, अत्याचार कम हों और उनका उत्थान हो। वे सामाजिक राष्ट्रीय मुख्य धारा में आएं। इस तरह का प्रयास हमेशा सरकार करती है और आगे भी करेगी।

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I will be very brief. Before speaking on this Bill, I want to move a Bill mentioned against my name at serial number 15. I want to also introduce the Bill. Sir, at the time of introduction, my name was called, but I was not here.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LALITBHAI MEHTA): You have to move the Bill first and then introduce it.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2003 (TO AMEND ARTICLE 130)

DR. T. SUBBARAMI REDDY: (Andhra Pradesh): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LALITBHAI MEHTA): Dr. Reddy, you can now speak on the Bill moved by Smt. Bimba Raikar.

THE WOMEN AND GIRLS (PREVENTION OF STRIPPING, TEASING, MOLESTATION, BRANDING AS WITCHES AND OFFER AS DEVADASIS) BILL, 2003-*CONTD.*

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I welcome and also fully support the Women and Girls (Prevention of Stripping, Teasing, Molestation, Branding as Witches and Devadasis) Bill, 2003, moved by Smt. Bimba Raikar, Sir, I want to draw the attention of Mr. Gautam. ...(*Interruptions*)... He is not listening to it.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: I am listening to you with full attention!

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I first admire his revolutionary and dynamic thoughts. As part of the Government of India, and also in his personal capacity, he has expressed his views. I really admire him. Sir, I am not going to repeat all the points which are made by others. The first important point is about the rape cases. We feel extremely sad because more and more rape incidents are taking place in various parts of the world, and in India too, particularly in Delhi, a pride city of the country, and also the Capital. Several times, rape incidents are taking place. The police chase the culprit. But it takes two or three years for them to catch the culprit, that too with great struggle. The trial in a rape incident, which took place two years back, is still going on. What is happening is, in between the culprit disappears, leaving the girl, who is the actual sufferer, to struggle. She becomes fed up to go to the court repeatedly. In the meantime, the accused tries to escape. My submission is, besides taking several measures, efforts should be made to see that rapes do not take place. For instance, at such places like parks, bus stands, the India Gate, residential areas and such other places, the Government must provide much more security and put much more police to watch if any culprits are attempting do it.

Secondly, besides this, when we catch such culprits, there could be special courts to try them. Special courts should be constituted. Special courts must try such cases and the Government must see that the special courts decide the case within a few months and punish the culprit. Today, there is total fearlessness. A culprit commits a crime, trial goes on for years and ultimately nothing happens. I appeal to the Government to bear this in mind. In future, there may be a lot of amendments. Mr. Gautam has been saying so many things. He, along with Rajnath Singhji, must persuade the Government to constitute special courts and to see that such culprits are punished, without dragging on the trial, as early as possible.

It is really sad that during the 34th International Film Festival, which was watched all over the world, when a picture was going on, a Swiss Embassy diplomat was raped and till today the police were not able to catch the culprit. I call upon the Government to see that the police chase and catch the culprits.

The next point is teasing. Teasing is a very bad thing. In hostels and colleges, where co-education is there, innocent girls are teased by boys in a very cruel and rude way. There are incidents where college girls committed suicide when they were hurt so badly. How do we prevent it? It can't be prevented by giving speeches here by anybody. How should the Government do it? Here comes social transformation. College lecturers and professors, who are teaching the students, must inculcate in the minds of boys and girls that they should not do such things in their life, they should not make people to laugh at them, they should never tease the girls, make them cry and, sometimes, commit suicide. This kind of social transformation should happen in their minds. Therefore, in colleges, schools and other places, while giving normal education, this must also be inculcated in the minds of the students and the people. Things like parading women naked in an innocent, foolish, emotional and fascinating way or converting them into Devadasis or beating women, by mistake, taking them as witches and killers, are happening. Suddenly, in a village, if such things take place, we can't blame the police or the Government and ask them why they are not able to prevent them. There is a method of prevention, that is, creating awareness in the society. There are some NGOs. There are some social organisations. There are voluntary organisations. There are women voluntary organisations. They must preach and inform the villagers and the innocent people that the days have changed; don't go in the wrong track; don't be innocent and ignore it; it is very unfair and it is totally a sin to ill-treat women; God will not pardon anybody who hurts or ill-treats women foolishly in the name of religion, and, therefore, don't do it. This type of a message must go.

Secondly, the media people, journalists, local tehsildars or Government executives must inform the police, if anything takes place and action must be taken immediately against the people who are responsible for attacking the women, by mistake, taking them as witches or converting them into Devadasis or making them walk naked in a foolish way. Those who do such things should be punished immediately and such things should be prevented by preaching the people. I have got some statistics with me. In the month of August, in New Delhi, in 15 days, I understand, 15 rapes took place. Therefore, at least, in New Delhi city the police should be alert. How? Of course, it is very difficult to say where and when such an incident would happen. Still there is a possibility. In such places like the India Gate, bus stands, etc., where much traffic

or much people are not there, definitely the policy must have a watch in mufti, not in the normal police uniform. If any youngster or any middle aged person is found in a street in a drunken condition and is misbehaving with others, especially women, the police should immediately catch hold of him and take action against him; otherwise, these problems cannot be solved. In a modern society, in the 21st Century, when the world is advancing scientifically, still in this great country of Mahatma Gandhi, Gautam Buddha and Vivekananda, these atrocious things are happening, which is very unfortunate. To solve these problems, the only solution is awareness. There is a need to create awareness in the minds of the people. You must make some efforts. There is no use of simply blaming the police or this man or that man. The Government must make some efforts. Besides the efforts of the Government and the police, the most important thing to do in the country is, we must make efforts to tell the people that these types of things will only given bad name and if you commit such crimes, the God will punish you. Such kind of awareness should be created in the minds of the people. This can be done by transforming their minds. In this way they can be brought to the right track. If they still go on the wrong track, the Government should definitely punish them. As you know, such cases take very long time in courts. This can be taken care of by setting up Special Courts to settle the cases early and certain time-limit should be fixed within which the cases could be disposed of and the culprits could be punished. The Government must make efforts at the college, school and hostel level to see that if anybody tries to play mischief, he is punished severely. We must make such efforts.

I am very happy that many hon. Members have participated in the debate on this Bill. Cutting across party lines and cutting across caste, community and religious affiliations, let us get united. Let us make India a glorious country and India's name should be there on the world map as a highly civilized society, where woman is respected as a goddess, as a mother and as a sister. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI LALITBHAI MEHTA): Mr. Reddy, you perform many yaganas and you also hold religious discourses. I expect that you would utilise these events for creating social awareness.

DR. T. SUBBARAMI REDDY: Sir, I keep telling about it to everyone.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Bill. Even after 54 years of Independence, we are talking on the subject of rape, eve-teasing and harassment to women, It has become a very common feature in our country. To stop all such things, as Dr. Subbarami Reddy has said, awareness is the only solution. Awareness should start at the school and college level. The school and college students should be educated about it. That is very important. The Government should make this subject compulsory in schools and colleges. That is my personal feeling. The Government should constitute a Ministry or a Cell to monitor that these kind of things do not happen with women. The police should maintain law and order properly. Sometimes, the police, which has to maintain law and order, is found responsible for such crimes. It should be dealt with very severely. The Government should take this responsibility upon itself. As you know, some times, in TV serials and movies these kinds of crimes are encouraged. So it becomes a role model for some people. Definitely, such programmes should be banned. There are some 24 hour channels which show kind of programmes. There is a Fashion Channel which definitely spoils the minds of the people. It should be stopped immediately. The Government must take these things into consideration. If you really want to do something for the women, then there should be a provision for rigorous punishment for those who commit such crimes so that these things do not happen in future. The Government should set up Special Courts for this purpose. With these suggestions, I support the Bill. Thank you.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जस कौर मीना): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्या मेरी बहिन बिम्बा रायकर जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने एक अति-महत्वपूर्ण और महिलाओं के प्रति संवेदनशील मुद्दे पर सदन के समक्ष अपना विधेयक प्रस्तुत किया है। साथ ही मैं उन सभी विद्वान सदस्य बंधुओं और बहिनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने अपने अमूल्य विचार और सुझाव प्रकट किए व हमारे समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। महोदय, जिस समय यह बिल प्रस्तुत किया गया, माननीय सदस्या ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे देश की संस्कृति महिलाओं के सम्मान की रक्षक ही नहीं बल्कि उन की प्रतीक भी मानी जाती है। उन्होंने जिस समय यह विधेयक पेश किया, उस समय ये विचार दोहराए। मैं स्वयं भी उन के इन विचारों को सम्मान देती हूं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पाश्चात्य देशों में महिलाओं की स्थिति और पाश्चात्य देशों

के रीति-रिवाज, उनकी सभ्यता व संस्कृति का तीव्र गति से भारतीय समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उसी के चलते आज अनेकों प्रकार की बुराइयां समाज में व्याप्त हो गयी हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, विद्वान साथियों ने इस स्थिति पर चिंता जतायी है और सुझाव भी दिए हैं उन्होंने महिला उत्पीड़न ,अत्याचार, बलात्कार, छेड़छाड़, अंध-विश्वास और रूढ़ियों से जुड़ी कुछ समस्याओं, डायन प्रथा व देवदासी प्रथा आदि पर गहरी चिंता और सुझाव व्यक्त किए हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस संबंध में सरकार की नीति को भी समझना चाहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से उन सभी को साधुवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार भी महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी मामलात पर चिंतित है और अब तक लगभग 38 कानून देश की आजादी के बाद महिलाओं के लिए बने हैं। महोदय, सम्माननीय बहिन ने अपने विधेयक में कुछ विशेष बात की है जिस में महिलाओं एवं बालिकाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने, उनको तंग करने, छेड़छाड़ करने, चुड़ैल घोषित करने व देवदासी के रूप में अर्पित करने की बात कही है। उन सभी के संदर्भ में मैं कहना चाहती हूं कि वर्तमान कानून व्यवस्था में इनके लिए कानून मौजूद हैं। कुछ राज्यों ने पृथक से जो कानून बनाए हैं, उनके संदर्भ में भी मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़, बिहार और झारखण्ड में डायन उन्मूलन कानून बनाया है, आंध्रप्रदेश में देवदासी उन्मूलन के लिए आंध्रप्रदेश देवदासी अर्पण का निषेध अधिनियम, 89 बनाया गया है और पास किया गया है। इसके साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड-इन तीनों राज्यों में डायन प्रथा निषेध अधिनियम, 2001 के रूप में कानून मौजूद है। इस के साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार की जो चिंता है, उस चिंता के साथ-साथ कुछेक राज्यों में इस विषय पर विशेष चिंता जाहिर कर कानून बनाए गए हैं, विद्यमान हैं तथा यह जो अंध विश्वास और रूढ़ियों से जकड़ा हुआ समाज महिला को डायन कहता है, महिला को चुड़ैल कहता है, महिला को देवदासी के रूप में भी अर्पित करता है, इसके पीछे भी कुछ सामाजिक कारण हैं। महोदय, मैं डायन शब्द के अर्थ में नहीं जाती, लेकिन उसे यह कहकर सम्बोधित किया जाता है कि खा गयीं। डायन का अर्थ है किसी के बच्चे की मृत्यु हुई और उस महिला पर आरोप लगा दिया जाता है कि उसने ही उस बच्चे को खाया है और वह पीड़ा भोगती है, जिस तरह से समाज उसको प्रताड़ित करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वह निंदनीय कृत्य है।

उपसभाध्यक्ष जी, इसके पीछे एक ही मानसिकता है और वह है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण रूढ़िवादी अंधविश्वासों में जकड़ी हुई वह सामाजिक व्यवस्था महिला को डायन कहती है। पुरूष को कभी डायन नहीं बताया गया। अगर हम डायन का विलोम करें या उसे पुल्लिंग करें तो वह होता है डाकू, खाने वाला राक्षस, यह कभी पुरूष को नहीं कहा गया। मैं समझती हूँ कि ऐसी बात हमारी सामाजिक व्यवस्था में नहीं है, लेकिन महिला को ही क्यों कहा जाता है, महिला को ही देवदासी के रूप में क्यों प्रस्तुत किया जाता है, महिला को ही चुड़ैल क्यों कहा जाता है, महिला के साथ ही

छेड़खानी क्यों होती है, इस बारे में भी हमारे विद्वान साथियों ने अपने विचार रखे और उन विचारों में यह भी कहा कि महिला कमजोर है। ऐसी बात नहीं है, प्रकृति ने जो उसकी शारीरिक संरचना की है उस शारीरिक संरचना के चलते उसे कमजोर मान लेना यह महिला के साथ न्याय नहीं है। महिला समान् अधिकार प्राप्त, समान वर्चस्व प्राप्त समाज में, परिवार में प्रतिष्ठित एक इकाई है। महिला को दोयम दर्जे पर कौन ले गया है? यदि हम अपने इतिहास को देखें तो उस समय महिला को पर्दे में बंद किया, महिला को घर में बंद किया, महिला को सार्वजनिक स्थलों से बंद किया जब मुगल काल की व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के अंतर्गत वह पिंजड़े में आबद्ध हुई, घर में आबद्ध हुई, सामाजिक कार्यों के अंदर उसे एक सीमित स्थान प्राप्त हुआ और इसी के चलते अनेक प्रकार से महिला को कमजोर, दोयम दर्जे का, पिछड़ा हुआ, आशक्त होकर लांछित होना पड़ा।

महोदय, इसी के साथ साथ कुछ विद्वान सदस्यों ने यह बात कही कि सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ मान्यताओं को बदलना पड़ेगा। यह सही बात है और सामाजिक व्यवस्थाओं में मान्यताओं को इस तरह बदलना पड़ेगा कि महिला के अस्तित्व, व्यक्तित्व और महत्व को समझा जाए। यह बात आपने अपनी चर्चा में भी रखी कि राम को जन्म देने वाली मां, गुरू गोबिन्द सिंह जी को जन्म देने वाली मां और दूसरी महान हस्तियों को जन्म देने वाली मां वह स्त्री रूपा ही थी। स्त्री रूपा तो हर रिश्ते के अंदर मौजूद है, चाहे वह मां हो, बहन हो, बेटी हो, चाची हो, ताई हो। आप किसी भी रिश्ते में देखें तो स्त्री एक केन्द्र बिन्दु है, लेकिन उस केन्द्र बिन्दु के अस्तित्व और उसकी सुरक्षा समाज को करनी है, जिसके लिए सामाजिक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे विद्वान सहयोगी मेरे मित्र गौतम जी ने भी यह बात कही कि हमें उसको उस सम्मान के स्थल तक स्थापित करना होगा, उसकी सुरक्षा करनी होगी, जो परिवार रूपी संस्था से चलकर पूरे देश के अंदर, समाज के अंदर उसे प्राप्त हो। राजनेताओं के बारे में उन्होंने बहुत कहा, लेकिन मैं अकेले किसी राजनेता को दोषी नहीं मानती, पूरे समाज में चाहे वे जनप्रतिनिधि हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं या गैर-सरकारी संगठन हैं या फिर ब्यूरोक्रेसी, कार्यपालिका से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन सबको भी महिला के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और महिला के प्रति संवेदनशील होने के साथ-साथ जो कानूनी प्रक्रिया या जिनसे उसको संरक्षण मिलना होता है उन कानूनों की क्रियान्विति में भी हमारी कार्यपालिका को विशेष पहल करनी पड़ेगी, विशेष जागरूक होना पड़ेगा।

महोदय, सरकार के माध्यम से जितने कानून बने हैं, उन कानूनों के अंतर्गत बहन बिम्बा जी ने अपने सुझाव भी इस बिल के माध्यम से दिए हैं और वे चाहती हैं कि इस तरह के कठोर कानून बनें, जिससे महिला को और अधिक संरक्षण हम दे सकें। इसी बिल की धारा 3 में आपने कहा है-" भारतीय दण्ड संहिता में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति बदला लेने की दुर्भावना से या

अपनी वासना की पूर्ति के लिए या यथास्थिति किसी लड़की या महिला की लज्जा भंग करने के लिए किसी लड़की या महिला को किसी भी समय सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र नहीं करेगा या नग्नावस्था में नहीं घुमाएगा और जो कोई इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अधीन अपराध करेगा।" यह बात उन्होंने अपने बिल में रखी है और इसके लिए उन्होंने मृत्युदंड का प्रावधान भी सुझाया है। मैं उनको यह कहना चाहती हूं कि हमारी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में भारतीय दंड संहिता की धारा 554 है, उसमें किसी भी महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर प्रहार या अपराधिक बलप्रयोग करे या किसी भी तरह से उसे प्रताड़ित करे तो इसका पूर्णतया प्रावधान है। उसकी सजा के लिए दो वर्ष कठोर कारावास का प्रावधान है, जिसको तीन बरस तक भी बढ़ाया जा सकता है। उनके प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान व्यवस्था में न्याय की प्रक्रिया से जुड़े हुए ये कुछ पहलू मैं बताना चाहती हूं।

एक और बात, उन्होंने धारा 4 और धारा 6 के अंतर्गत भी अपनी भावनाओं को उल्लिखित करते हुए कुछ आर्थिक और शारीरिक दंड का प्रावधान तय किया है, लेकिन इसके संदर्भ में भी मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि पूर्व में भी, वर्तमान में जो विद्यमान कानून है, उन कानूनों के अंतर्गत भी अवैध यौन स्पर्श से लेकर नग्न घुमाना, इशारेबाजी करना, सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ करना और किसी भी तरह से दूषित मानसिकता के कारण यदि कोई पुरूष किसी महिला के प्रति ये भाव रखता है तो उसके लिए वर्तमान कानून में भी कठोर दंड का प्रावधान है। आपने जो ध्यान आकर्षित किया है, इसके संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कार्यपालिका में कार्यरत लोग, कार्यपालिका से जुड़े हुए वे लोग, जो कानून के सिलेक्शन में व्यवस्था देते हैं, उनको सैंसेटाइज करना पड़ेगा उनको भावनात्मक दृष्टि से महिलाओं के प्रति संवेदनशील करना पड़ेगा इस संवेदनशील करने की स्थिति में भी मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ जोड़ी है और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने में सरकार की मंशा भी यही है कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप महिला और पुरूष के प्रति, मानव के प्रति किस तरह से नैतिक गुणों की पुन:स्थापना हम जनता में करें, हम नागरिकों में करें, हम बच्चों में करें, आने वाली पीढ़ी में करें, इसके लिए भी हमने प्रावधान रखा हुआ है। इसके अलावा सामाजिक संगठन, जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वे संस्थाएं भी महिलाओं के इन कानूनी संरक्षणों के साथ-साथ उनके ऊपर हाने वाले अत्याचारों से बचाव करने के लिए बहुत काम कर रही है और उन संस्थाओं में, मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे विधि विभाग के माध्यम से भी कानूनों की जानकारी के लिए, कानूनों के प्रचार-प्रसार के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं और विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट, जो राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से तैयार की गई थी, उसको भी हमने सहारे के लिए लिया है और उस रिपोर्ट से जो भी उद्धरण महिलाओं को इन उत्पीड़नों से निवृत्त करने के लिए थे, उनको भी हमने अपने साथ जोड़ा है।

4.00 P.M.

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि कर्नाटक में, आंध्र में देवदासी की प्रथा है, इसके पीछे मैं सोचती हूं कि विधेयक लाने से पूर्व बहन की एक साफ मानसिकता है कि उनकी इस पीड़ा को इन्होंने नजदीक से देखा है। क्योंकि यह दक्षिण भारत के ही राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक इनमें देवदासी की प्रथा है। देवदासी, जिस तरह से मंदिर में बालिका देवता को समर्पित कर दी जाती है, उसके पीछे उन परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी हमें सोचना है, समाज को सोचना है। सरकार ने तो सोचा है और सोचने के बाद ही देवदासी उन्मूलन प्रथा को उस राज्य में कानून के रूप में स्वीकार कर लिया है, लेकिन सम्पूर्ण समाज को इसके बारें में सोचना है कि वह बालिका जिस परिवार की है, जिसे देवता को समर्पित किया गया है, उस परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी कुछ इसके लिए जिम्मेदार होती है। अशिक्षा तो इन सब प्रथाओं की मूल जड़ है। जब तक बालिकाओं का अशिक्षा से निवारण नहीं होगा, तब तक कानूनों की प्रक्रिया भी धीमी रहेगी।

मैंने इस विधेयक का सांगोपांग अध्ययन किया है, पूर्णत: इसको समझा है, जांचा है और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि इस विधेयक की पूर्ण जांच के बाद मैंने पाया कि महिलाओं को चुड़ैल घोषित करने तथा बालिकाओं को देवदासी के रूप में अर्पित करने के अपराध संबंधी प्रावधान कुछ राज्यों में कानून के रूप में विद्यमान हैं। उन कानूनों की जानकारियां हमको घर-घर, गांव-गांव, हर महिला, हर परिवार तक पहुंचानी पड़ेगी। माननीय सदस्या द्वारा प्रस्तुत इस प्राइवेट विधेयक के अन्य अधिकांश उपबंध पहले से ही कानूनों के रूप में विद्यमान हैं और उन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

मैं यह भी दोहराना चाहूंगी कि इस प्रस्तुत विधेयक का आशय उस विषय-वस्तु से है, जो विषय-वस्तु आपने प्रस्तुत की है, यह पहले से ही कानून में मौजूद है और सरकार इस पर पूर्णरूपेण विचार कर रही है और आपके इन उपबंधों में, कुछ उपबंध, जो दंड की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, जिनमें आपने कठोर दंड का प्रावधान रखा है, मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिलाती हूं कि इन पर हम विचार करेंगे और आपके विचारों को और अधिक हम प्रचारित करेंगे, और अधिक महिलाओं के संरक्षण के लिए इनका उपयोग करेंगे। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हमारे विद्वान साथियों ने टी०वी० से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर बहुत चिंता ज़ाहिर की है। टी०वी० के कार्यक्रमों में महिलाओं को जिस तरह से विज्ञापनों में अर्ध-नग्न या बहुत ही भद्दे तरीके से दिखाया जाता है, वह ठीक नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि ये विज्ञापन जब जारी होते हैं उससे पहले इनकी पूर्ण जांच और परख होती है लेकिन फिर भी आपकी जो चिंता है, उससे सरकार रूबरू है और इसको ध्यान में रखते हुए हम सेंसर बोर्ड से बात करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप महिला के उत्पीड़न से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, उनके प्रति हम पूर्णतया संवेदनशील ही नहीं, बल्कि सजग हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सरकार ने यह प्रावधान भी रखा है कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित छोटी-छोटी जगहों पर जैसे मुंसिफ, मजिस्ट्रेट कोर्ट तक इस तरह के शिविर लगाए जाते हैं जिनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को भी कानून की जानकारी दी जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अधिक से अधिक जागरुकता समाज में लाई जाएगी और कानून की जानकारी दी जाएगी। आपके मन में जो तकलीफ उठी है और जिसके कारण आपने यह विधेयक प्रस्तुत किया है, उस तकलीफ को दूर करने के लिए जनजागरण और सामाजिक जागरण किया जाएगा। महिलाओं के बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन जो जनजागरण के लिए काम कर रहे हैं, उनसे भी लगातार राष्ट्रीय महिला आयोग की बहनें मिलती रहती हैं। आप समाचारपत्रों के माध्यम से जानते होंगे कि प्रत्येक राज्य में, जहां भी ये दिक्कतें हैं, वहां उनके दौरे जारी हैं और वहां जाकर इस तरह की संवेदनशीलता जताने और महिलाओं के प्रति होने वाले उत्पीड़न से बचाने के लिए उनको सजग करने का प्रयास जारी है।

महोदय, यदि हम आंकड़े देखें तो अपकी चिंता सही है। बलात्कार, अपहरण, दहेज मौतें, उत्पीड़न, सती प्रथा आदि अनेक ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण समाज में ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपको चिंता से मैं अपने आपको सम्बद्ध करती हूं और आपको यह विश्वास दिलाती हूं कि सरकार इनके निवारण के लिए कटिबद्ध है। सरकार का जो प्रयास है, आप जानती होंगी कि आपके राज्य में भी राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय समाज कल्याण बोर्ड, एक तरफ पीड़ित महिला को कानूनी संरक्षण देने के लिए पहुंचता है तो दूसरी तरफ उस पीड़ित महिला के रोजगार और पुनर्स्थापन की व्यवस्था के लिए भी अनेकों प्रकार की योजनाएं सरकार ने बनाई हैं। ''स्व-आधार'' नामक एक नयी योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई है। उस योजना का प्रमुख लक्ष्य ही यह है कि ऐसे कष्टप्रद क्षेत्र में काम करने वाली, रहने वाली पीड़ित महिलाओं की पुनर्स्थापना की जाए और उनको सहयोग और संरक्षण दिया जाए। ऐसी ''स्व-आधार'' योजना हमने पूरे देश में लागू की है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि महिला बाल विकास विभाग के माध्यम से इस प्रकार के संकटों में रहने वाली, इस प्रकार की त्रस्त महिलाओं के सहयोग के लिए अनेकों योजनाएं हैं। आप भी उन योजनाओं को समझकर और अधिक महिलाओं में उन योजनाओं का प्रचार और प्रसार करने के लिए सहयोग करेंगी तो निस्संदेह आपकी पीड़ा में कहीं न कहीं राहत मिलेगी।

अंत में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूं कि आपने इस विधेयक में जितने भी उपबंध और सुझाव दिए हैं, वे सभी मौजूदा कानूनों में विद्यमान हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यदि आपको अपने और विचार रखने हैं तो उसके लिए मैं आपके विचारों को आमंत्रित करती हूं। मैं आपके विचारों को सुनूंगी और सरकार की मंशा के साथ उनको जोड़ूंगी। जब आपके इस विधेयक के संपूर्ण उपबंध वर्तमान कानूनों में मौजूद हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस विधेयक को वापस ले लें। धन्यवाद।

THE VICE-CHIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Mrs. Bimba Raikar, are you withdrawing your Bill? Or should I put the motion to vote?

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): Sir, before that, I wish to say a few words.

First of all, I want to thank all my colleagues who have participated on this Bill wholeheartedly. I also thank the hon. Minister Shri Gautamji, who also spoken very eloquently and shown his respect towards women. At the same time, I would like to thank the hon. Minister, who has given a comprehensive and convincing reply that I am fully satisfied. I have full faith in her that she will, definitely, do something good for women, since she is also a *mahila*. She knows my pain. I am sure that she would do something for women. Also, I thank the Chairman, who has given us time to discuss this Bill in a wide and lucid manner.

I had already spoken last time, but I wish to add something now. Why I am bent upon this Bill is ours is a sacred country where women are respected. From the ancient times, we respect our women in all fields. Our *rishi-munis* gave protection to Sita when she was in jungle. When Dussasan put his hands on Draupadi, Lord Krishna came down to protect her. See what is happening today. Even if we shout on road, not even a single policeman comes to protect us. That is why, now-a-days, we feel bad. In our country, we don't say 'Krishna-Radha', but we say 'Radha-Krishna'; we don't say 'Narayana-Lakshmi', but we say 'Lakshmi-Nayarana'; in the same way, we don't say 'Rama-Sita', we only say 'Sita-Rama'. This means, in our country, more respect is given to women and we cannot forget it. Most of the rivers in our country are known as Papanasinis. The names—Ganga, Bhaghirathi, Saraswathi, Arkavathi, Sharavati, Cauvery, Narmada, Godavari—are in feminine gender. Even here, we say Brahmaputra is also a feminine gender. But, there, they say, it is Tho-Brahmaputra. That means, we have got so much respect for the feminine gender. But, today, everything has been changed. Where are we today? We have to bring this Bill before the House because, today, we feel that we are not safe. The protection that is necessary has not been given to a lady. The ladies are taken for granted. We are not getting the desired respect. Sir, on roads and in colleges, or, wherever we go, we are not treated with respect. Even in decision-making, males get more preference than female. Where are the posts for ladies? Where are ladies involved in

decision-making? Where are women judges? Where are women in the higher echelons? In no way ladies are inferior. In the olden days, our Sant Meerabai, Sita, Draupadi, were known for their *tapasya* and *tyaga*. In political field also we had Sarojini Naidu, Annie Besant and Indira Gandhi etc.

श्री संघ प्रिय गौतम: पांच महिला चीफ मिनिस्टर हैं। हमारी डिप्टी चेयरमैन भी महिला हैं।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: We have Jhansi-ki-Rani and Kittore Chennamma. They fought in the battlefield. They were not less. We were no less in any manner. But, today, we feel that we are not getting the same kind of respect that we were getting earlier. Sir, as I said, even the police do not care us. That is why we are, today, speaking on this Bill; we are speaking of dowry harassment, we are speaking of rape; we are speaking of *devdassis* and naked women parade, which had taken place in Karnataka. we were against it. There was a big violence. The *Devdassis pratha* is still prevailing in Karnataka. Girls are sent to Bombay. They are treated as prostitutes. So, keeping all these things in mind, I feel, we need more protection. However, the hon. Minister has given me all the assurances. I don't want to take much time of the House. She has given me a very detailed reply. She has really studied what I had spoken, each and every word, last time. She has given me a very good reply. But I would like to suggest one thing, Madam, that everywhere there is law, I agree to that, but what happens in such cases is, if a person is given punishment and sent to jail for ten years or fifteen years, the public memory is very short. After sometime everybody forgets. So, I feel that instead of capital punishment, it should be a deterrent punishment in such cases. For example, in Gulf countries, if you commit a crime, your hands are cut off, your legs are cut off, a big brand is put on your forehead. So, what happens is, those who are surrounding him and of the same mentality, when they think of committing any crime, they remember, "Oh! If we do like this, this is the punishment." Otherwise, what happens is, if somebody goes to jail, after two days a big man goes and gets him released on bail. Again that person comes out, and the fear of the law goes away. They think कुछ भी करने दो, चार दिन जेल में रहेंगे और बाद में बाहर आ जाएंगे। This idea should not be there. That is why I really feel that there should be some deterrent punishment for such crimes, which will be remembered by the offender througout his life. Even the people around

him and his relatives will also remember that they should not indulge in such things. So with these words, I, once again, thank the hon. Minister, who has given me a very good reply. I am very much satisfied with her reply. If the hon. Minister gives me an assurance that she would do something in this regard, I will withdraw my Bill. I am not against men. Whosoever commits a crime, whether a man or a woman, he or she should be punished. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Shrimati Bimba Raikar, after listening to your reply—because you are the Mover—I am sure, you are confident that whatever suggestions you have made, would be taken into consideration seriously. That is why I am asking you: Are you withdrawing your Bill?

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Yes, Sir. If the hon. Minister assures me, I would definitely withdraw my bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): She has already assured.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Sir, I withdraw my bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, we take up the next Bill, that is, The High Court of Gujarat (Establishment of a Permanent Bench at Surat) Bill, 2001. Shirmati Savita Sharda to move the motion of consideration of the High Court of Gujarat (Establishment of a Permanent Bench at Surat) Bill, 2001.

THE HIGH COURT OF GUJARAT (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT SURAT) BILL, 2001

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

> "कि सूरत में गुजरात उच्च न्यायालय की स्थायी न्यायपीठ की स्थापना करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ साउथ गुजरात के सूरत शहर में हो इस बिल पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। विभिन्न बार एसोसिएशन की ओर से पुन:-पुन: विचार किए जाने की संभावना व्यक्त की जाती रही है, लेकिन परिणाम शून्य रहा। साउथ गुजरात